भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *162
उत्तर देने की तारीख 11 फरवरी, 2026

ग्रामीण क्षेत्रों में निष्क्रिय वाई-फाई हॉटस्पॉट

***162. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में स्थापित हॉटस्पॉट अभी भी काम नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण वाई-फाई हॉटस्पॉट पहल के कार्यान्वयन का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इनके प्रचालन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है और इन हॉटस्पॉट की कार्यशीलता दर कम होने के लिए किन कारणों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इन वाई-फाई सेवाओं के रखरखाव, संपर्क और इन्हें अपनाने से संबंधित चुनौतियों का आकलन करने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और स्थानीय निकायों के साथ विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है और क्या किन्हीं सुधारात्मक उपायों की योजना बनाई जा रही है; और

(ङ) इस कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने और ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए शुरू किए जा रहे नीतिगत हस्तक्षेपों और वित्तीय सहायता तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ड.) विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

"ग्रामीण क्षेत्रों में निष्क्रिय वाई-फाई हॉटस्पॉट" के संबंध में दिनांक 11 फरवरी 2026 के लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 162 के भाग (क) से (ड.) के संदर्भ में लोकसभा के पटल पर रखा जाने वाला विवरण

(क) और (ख): सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में वाई-फाई हॉटस्पॉट के प्रसार के लिए, प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) पहल शुरू की है। दिनांक 31.1.2026 तक, उक्त पहल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 52,733 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए थे, जिनमें से 94 हॉटस्पॉट निष्क्रिय थे।

(ग) और (घ): प्रधान मंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) वर्तमान में इस विभाग की सक्रिय वाई-फाई हॉटस्पॉट पहल है, जिसमें सरकार की भूमिका मुख्य रूप से नीति को सक्षम बनाने और एक ढांचा प्रदान करने की है। इसके अलावा, 31.12.2025 तक, पीएम - वाणी योजना के प्रसार के लिए विभाग के फील्ड कार्यालयों द्वारा कुल 609 कार्यशालाएं/ सेमिनार, 318 प्रेस ब्रीफ और 183 विज्ञापन दिए गए हैं।

(ड.): प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) योजना के तहत सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स के प्रसार से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा 16.09.2024 को पंजीकरण के लिए मौजूदा पीएम-वाणी फ्रेमवर्क दिशानिर्देशों में कई अंत:क्षेप जारी किए हैं। इन नीतिगत अंत:क्षेप में शामिल हैं:

• सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को नियमित एफटीटीएच कनेक्शन के माध्यम से पीएम वाणी की पेशकश करने की अनुमति देना जिससे उनकी लागत कम हो जाएगी।

• पीडीओ को अपने एकाधिक एक्सेस पॉइंट को आईएसपी की ओर सिंगल बैकहॉउल में एग्रीगेट करने की अनुमति देना।

• मौजूदा होम या बिज़नेस वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स को वृहत पीएम-वाणी नेटवर्क में शामिल होने की अनुमति देना, जिससे कि उनके मौजूदा एक्सेस पॉइंट का राजस्व के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सके।

• सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीडीओए) के बीच रोमिंग की अनुमति देना जिससे एंड यूज़र्स अलग-अलग पीडीओए के पीएम-वाणी वाई-फाई हॉटस्पॉट के बीच आसानी से स्विच कर सकें।

• मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ मिलकर सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को मोबाइल डेटा ऑफलोड की पेशकश करने की अनुमति देना।

• उपभोक्ता की सहमति के बाद, सार्वजनिक डेटा कार्यालय एग्रीगेटर्स (पीडीओए) और ऐप प्रदाताओं को संभावित पीएम-वाणी वाई-फाई उपभोक्ताओं को कंटेंट, प्रमोशन और ब्रांडिंग संदेश भेजने की अनुमति देना।

इसके अलावा, दिनांक 16.06.2025 को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) के लिए रिटेल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए टैरिफ से संबंधित दूरसंचार टैरिफ (71वां संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, 200 एमबीपीएस तक के सभी रिटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लांस सार्वजनिक डेटा कार्यालयों (पीडीओ) को ऐसी कीमतों पर दिए जाने चाहिए, जो संबंधित उपभोक्ता ब्रॉडबैंड की कीमत से दोगुनी से ज़्यादा न हों।

पीएम-वाणी योजना के तहत किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को वित्तीय सहायता तंत्र प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है।

*****